

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

वाद संख्या 44/2013

निर्णय दिनांक: 29.05.2018

1. रामनारायण पुत्र ग्यारसीलाल (मृतक दौराने वाद)

1/1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 रामनारायण

1/2. मूलचन्द पुत्र स्व0 रामनारायण

1/3. श्रीमती भौरी देवी पत्नी स्व0 रामनारायण

समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम नांगल सुसावतान, तह0 आमेर जिला जयपुर

बनाम

1. श्रीमती बिरधी बेवा मांग्या (नाम हजब)

2. रामसहाय पुत्रान मांग्या जाति मीणा

3. प्रहलाद

निवासीगण ग्राम नानकी का बाढ, तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।

4. सब रजिस्ट्रार तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. तहसीलदार तह0 आमेर जिला जयपुर।

—वादी



—प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण द्वारा अपने कब्जेकाश्त को सिद्ध नहीं किया जा सका है तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि विवादित भूमि को क़य करने के 53 वर्षों के उपरान्त भी नामान्तरण वादी के पक्ष में क्यों नहीं खुलवाया जा सका तथा प्रतिवादीगण विवादित भूमि के पूर्व से ही रिकार्ड ख़ातेदार चले आ रहे हैं। इसके साथ ही तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी वादीगण के तथ्यों/कथनों के विपरीत है। अतः वाद वादीगण सिद्ध नहीं होने से ख़ारिज किया जाता है।

दस्तख़त—

ओहदा—

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक (कलेक्टर) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रेक आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु० जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

वाद संख्या 44/2013

निर्णय दिनांक:29.05.2018

1.रामनारायण पुत्र ग्यारसीलाल (मृतक दौराने वाद)

1/1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व० रामनारायण

1/2. मूलचन्द पुत्र स्व० रामनारायण

1/3. श्रीमती भौरी देवी पत्नी स्व० रामनारायण

समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम नांगल सुसावतान, तह० आमेर जिला जयपुर

—वादी

बनाम

1. श्रीमती बिरधी बेवा मांग्या (नाम हजब)

2. रामसहाय | पुत्रान मांग्या जाति मीणा

3. प्रहलाद

निवासीगण ग्राम नानकी का बाढ, तह० जमवारामगढ जिला जयपुर।

4. सब रजिस्ट्रार तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. तहसीलदार तह० आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण



वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया है कि ग्राम नांगल सुसावतान तह० आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ. ख. न. 680 व 690 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.13 है० जिनका साबिक खसरा नं० 392 रकबा 10 बिस्वा था, का खातेदार मांग्या पुत्र ठण्डा मीणा निवासी ग्राम नांगल सुसावतान तह० आमेर था। जिसका देहान्त पूर्व में हो चुका था प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 3 उसके उत्ताधिकारी है। उक्त खातेदार मांग्या पुत्र ठण्डा मीणा ने उक्त वर्णित भूमि साबिक खसरा नं० 392 रकबा 10 बिस्वा वादी को दिनांक 25.12.1965 को विक्रय कर कब्जा दे दिया एवं विक्रय पत्र पर स्वयं का अगूठा निशानी लगा कर विक्रय पत्र पर गवाहो व सरपंच के हस्ताक्षर कराते हुए वादी के पक्ष में विक्रय पत्र पर तहरीर व तकमील कर दिया। इस प्रकार से वादी इस भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है। तत्पश्चात से ही वादी का कब्जाकाशत पर निरन्तर चला आ रहा है। परन्तु उक्त भूमि के संदर्भ में नामान्तरण वादी (क्रेता) के नाम नहीं हो सकी जबकि विक्रेता मांग्या पुत्र ठण्डा मीणा ने अपने जीवनकाल में वादी के उक्त भूमि कब्जाकाशत में कभी हस्तक्षेप नहीं किया परन्तु चूंकि उक्त भूमि की खातेदारी मांग्या के नाम थी एवं विक्रय के पश्चात भी भूमि का नामान्तरण वादी के नाम नहीं हो सका था इसलिए मांग्या की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि का ईन्द्राज प्रतिवादीगण सं० 1, 2, 3 के नाम हो गया जिससे इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य के प्रतिवादीगण इस भूमि को हस्तान्तरित करने का प्रयत्न कर रहे है। जिसकी हाल ही में जानकारी होने पर वादीगण को अपने अधिकार घोषित कराने के लिए यह वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यदि प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 ने वादअधीन भूमि को हस्तान्तरित कर दिया तथा वादीगण के कब्जाकाशत में हस्तक्षेप किया तो वादी का अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन नहीं हो सकेगा तथा वादीगण के अन्य मुकदमाबाजी में जैरबार होना पड़ेगा। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस अमर की जावे कि वर्णित भूमि 10 बिस्वा जिसका गत ख० नं० 392 व हाल खसरा नं० 680 व 690 रकबा 0.13 है० पर ग्राम नांगल सुसावतान है०, के वादीगण खातेदार काशतकार है तथा राजस्व अभिलेख में इस आशय का इन्द्राज प्रतिवादीगण से 1, 2, 3 के स्थान पर अपने नाम कराने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित ना करे एवं वादीगण के कब्जेकाशत हस्तक्षेप ना करें।

वादीगण ने अपने वादपत्र के सदर्थ में

1.सत्यप्रतिलिपि— जमाबन्दी सम्वत 2056—59(प्रदर्श—1)

2.प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त 2046—2065 (प्रदर्श—2)

3.छायाप्रति —विक्रय पत्र दिनांक 25.12.65 मांग्या पुत्र ठण्डा बहस रामनारायण पुत्र ग्यारसीलाल

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का जवाब मय प्रतिवाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादी ने उक्त वर्णित विवादित भूमि खसरा नं० 392 रकबा 10 बिस्वा का विक्रय कभी भी वादी रामानारायण को नहीं किया ना ही कोई लिखावट दिनांक 25.01.2012 को की गई थी तथा तथाकथित विक्रय पत्र पर कोई अंगूठा निशानी भी प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई। तथाकथित लिखावट वादी ने फर्जी तैयार की है। वादी का वर्णित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा ना ही वर्तमान में है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा कभी भूमि विक्रय नहीं की गई तो नामान्तरण खुलवाने का कथन स्वतः ही गलत है। प्रतिवादी वर्णित भूमि का विक्रय किसी भी व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं। जिससे वादी द्वारा वर्णित वादकारण उत्पन्न होने सम्बन्धित कथन गलत अंकित किया गया है। वादी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः बिना प्रार्थना कब्जा दावा चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा तथाकथित लिखावट के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे उक्त फर्जी लिखावट के आधार पर वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जिससे भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र में स्वयं की वल्लिदयत ग्यारसा अंकित की हैं जबकि वादी ग्यारसा का पुत्र नहीं है बल्कि मंगला का पुत्र है। वादी ने जानबूझकर स्वयं को ग्यारसा का पुत्र लिखा है। अतः वाद गलत तथ्यों पर होने से निरस्तनीय है। वादी ने प्रतिवादीगण को परेशान करने हेतु झूठा वाद प्रस्तुत किया है। जबकि जिस भूमि खसरा नं० 312 का वाद प्रस्तुत किया गया है। वह प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि है जिसपर वादी फर्जी लिखावट के आधार पर जबरन कब्जा करना चाहता है। यदि वादीगण इसमें सफल हो जाते हैं तो मिन प्रतिवादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसके लिये प्रतिवादीगण काउण्टरक्लेम के जरिये वादीगण को पाबन्द कराने हेतु प्रतिवाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण के प्रतिवाद (काउण्टर क्लेम) को डिकी किया जावे तथा वादीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिवादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा ना करें ना ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करें।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र मय प्रतिवाद का जवाब प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद में यह गलत अंकित किया गया है कि वादी का उक्त वर्णित विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा है जिसमें वादी के 15 पेड नींबू, 10 पेड करोंजा, 5 पेड केले के लगे हुए हैं तथा भूमि में वादी का पक्का मकान व छप्पर बना हुआ है जिसमें वादी सपरिवार निवास करता है और अपने मवेशी बांधता है वादग्रस्त भूमि स्थित वादी के मकान में बिजली ली हुई है जिसका कनेक्शन वादी के पुत्र जगदीश के नाम है। इससे पूर्व भी वादग्रस्त भूमि में बाजरा, मक्का आदि की फसल वादी ने बोई और काटी है। ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा है कब्जे के अभाव में प्रतिवादीगण वादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी मंगला का पुत्र और ग्यारसीलाल का दत्तक पुत्र है यह तथ्य वाद की विषयवस्तु भी नहीं है। अतः वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद डिकी कराने का अधिकारी है।

उभयपक्षकारान के कथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई—

1. आया वादी को विवादग्रस्त भूमि खसरा नं० 392 रकबा 10 बिस्वा प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के पूर्व हक अधिकारी मांग्या पुत्र ढण्डा ने 91 रूपये में विक्रय कर दी और कब्जा दे दिया और विक्रय पत्र दिनांक 25.12.65 को वादी के पक्ष में तकमील करा दिया और अपनी निशानी अंगुठा लगा दिया और विक्रय पत्र पर गवाहो व सरपंच के हस्ताक्षर करा दिये इस बेचान के बाद वादी इस भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है और इस आशय की घोषणा कराने का अधिकारी है।

—वादी

2. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

—वादी

3. आया वादी का वाद कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

—प्रतिवादी

4. आया प्रतिवादी काउण्टर क्लेम के द्वारा विरुद्ध वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

—प्रतिवादी

5. अनुतोष ?

कायम तनकी के क्रम में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र स्वयं वादी रामनारायण के तथा स्वतंत्र गवाह भैरुराम पुत्र मंगलाराम, रामकुवार पुत्र झूथाराम के पेश किए गए तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रहलाद पुत्र मांगीलाल, गोपाल पुत्र चौथू, बाबूलाल पुत्र नाथूलाल, मोहनलाल पुत्र छाजूराम व रुघनाथ पुत्र हरबक्श के पेश किए गए।

उभयपक्षकारान के कथनों के क्रम में तहसीलदार आमेर से वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में मौका

xlid
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर यु, जयपुर

रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार आमेर ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं० 680, 690 कुल रकबा 0.13 है० की खातेदारी मु. बिरदी देवी बेवा मांग्या, रामसहाय व प्रहलाद पि० मांग्या, कौम मीणा जो कि प्रतिवादीगण है, के नाम दर्ज है। जिसके अन्तर्गत खसरा नं० 680 में 7-8 पेड है जिनकी सुरक्षा हेतु पूर्वी व पश्चिमी तरफ दो तार कांटे वाले खींचे हुए हैं, उत्तरी तरफ एक पुराना मकान बना है जो खसरा नं० 679 में बना हुआ है जिसका आंशिक भाग खसरा नं० 680 में भी आता हुआ प्रतीत होता है। उक्त खसरा नं० 680 का शेष भाग खाली है तथा दक्षिणी तरफ पुख्ता बाउण्ड्री लगी है। इसके अतिरिक्त खसरा नं० 690 वर्तमान में खाली है।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार आमेर की मौका स्थिति रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 का अवलोकन किया। जिसके क्रम में प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है।

तनकी सं० 1- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है जिसके क्रम में वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के अवलोकन से विक्रय पत्र की वैधता स्पष्ट सिद्ध नहीं होकर सन्देहास्पद प्रतीत होती है। इसके साथ वादी यह भी सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि जब दिनांक 26.12.65 को उक्त विक्रय पत्र तस्दीक कर दिया गया था तो आज दिनांक तक भी नामान्तकरण क्रेता के पक्ष में क्यों नहीं खुलवाया जा सका। अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी सं० 2- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है जिसके क्रम में चूंकि प्रतिवादीगण वर्तमान में विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं वादीगण द्वारा अपने कब्जेकाशत के सन्दर्भ में कोई मान्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि के क्रय के सम्बन्ध में यह भी सिद्ध नहीं कर सके हैं कि भूमि क्रय करने के लगभग 53 वर्षों के उपरान्त भी विवादित भूमि के सन्दर्भ में वादीगण द्वारा नामान्तकरण क्यों नहीं खुलवाया जा सका। अतः चूंकि प्रतिवादीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी, कब्जाकाशत को सिद्ध भी नहीं कर सके हैं अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी सं० 3- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। चूंकि वादीगण द्वारा अपने कब्जेकाशत के सन्दर्भ में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य आदि भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से भी वादीगण का पक्ष सिद्ध प्रतीत नहीं होता है। अतः इस तनकी का निस्तारण प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी सं० 4- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम के क्रम में अपने जवाब के मद सं० 4 में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का पक्का मकान व छप्पर बना हुआ है। तथा आराजी ने लगभग 30 पेड नींबू, करुंजे, केले आदि के लगे हुए हैं। जबकि तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर कोई मकान आदि नहीं बना हुआ है। तथा भूमि में मात्र 7-8 पेड लगे हुए हैं। उक्त वर्णित तथाकथित मकानात खसरा नं० 679 में बना हुआ है। जिसका आंशिक मात्र भाग विवादित खसरा नं० 680 में आता हुआ प्रतीत होता है। जिससे भी वादीगण के कथन तथ्यों तथा तहसीलदार रिपोर्ट के विपरीत सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही चूंकि वादीगण द्वारा विवादित भूमि पर कब्जे व काशत के सन्दर्भ में तथा नामान्तकरण नहीं खुलवाये जाने के सन्दर्भ में भी कोई ठोस आधार व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा प्रतिवादीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं। जो दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध होता है। अतः इस तनकी का निस्तारण प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

अनुतोष-

चूंकि वादीगण द्वारा अपने कब्जेकाशत को सिद्ध नहीं किया जा सका है तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि विवादित भूमि को क्रय करने के 53 वर्षों के उपरान्त भी नामान्तकरण वादी के पक्ष में क्यों नहीं खुलवाया जा सका तथा प्रतिवादीगण विवादित भूमि के पूर्व से ही रिकार्डेड खातेदार चले आ रहे हैं। इसके साथ ही तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी वादीगण के तथ्यों/कथनों के विपरीत है। अतः वाद वादीगण सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर